

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 10.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Dharmapuri Srinivas** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 868 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	G. RAGA VARSHINI	SH. G. PRAVEEN MOB- 8328555342, 9100181575	1	NO.2 GOLKONDA
2	G. PRASIDDHA RAJ GUPTA	SH. G. PRADEEP MOB- 9676969695	3	NIZAMABAD
3	MOHAMMED ABDUL MUQEETH	SH. MD. ABDUL HAMEED MOB- 9398335517, 9848518771	2	NIZAMABAD
4	P. HARINYA	SH. P. CHETAN KUMAR MOB- 7780894986, 9985590067	1	UPPAL HYDERABAD
5	KASAM ADITYA REDDY	SH. K. THIRUPATHI REDDY MOB- 8309512799, 8309889874	6	THIMAPUR
6	S. NIHA SWINI	SH. S. SANTOSH MOB- 8247419961	1	BOLLARAM
7	BUDDHEY TANVI SREE	SH. B. SANDEEP MOB- 9948159517	1	AFS BEGUMPET
8	KETHAVATH SAI CHARAM	SH. KETHAVATH THIRUPATH MOB- 9440083874, 9652028562	6	NIZAMABAD
9	VARANASI PRADHYUMNA	SH. V. SRINIVAS MOB- 9640722316	8	MANCHIRYAL
10	L. BHVYA SRI	SH. L. SRIKANTH MOB- 9052118622, 9014402365	2	NO.2 GOLKONDA

पिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Dharmapuri Srinivas माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, HYDERABAD संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)